विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS-LSBA/Admn/39/18/130　　　　दिनांक: 19-05-2018

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह- राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
कटिहार।

विषय: DWSC कटिहार में कार्यरत DC-MIS तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर दिगविजय मंडल द्वारा अनुचित मांग किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कटिहार जिले में कार्यरत प्रखंड समन्वयक द्वारा सामूहिक रूप से आवेदित किया गया है कि DWSC कटिहार में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा अनुचित माँग की जाती है तथा जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है। आवेदन की प्रति पत्र के साथ सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार अनुरोध है कि आप अपने स्तर से संबंधित जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : आवेदन की प्रति।

18/5/18
(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : निदेशक -सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/5/18
(राजीव कुमार सिंह)

सेवा में,

जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, कटिहार।

विषय :- ग्रामीण विकास विभाग के मार्गदर्शिका के विरूद्ध कार्य कराने के संबंध में।

प्रसंग :- ग्रामिण विकास विभाग, बिहार के मार्गदर्शिका 68/C दिनांक 05.08.2016 का उलंघन जिला जल एवं स्वच्छता समिति कटिहार के पत्रांक 58 दिनांक 26.03.2018 द्वारा किये जाने के आलोक में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगीक मार्गदर्शिका एवं जिला जल स्वच्छता समिति के पत्र के आलोक में कहना है कि मार्गदर्शिका के कंडिका 3(G) में स्पष्ट निर्देश है कि BPMU द्वारा 25% निर्मित शौचालय का सत्यापन करना है वहीं कंडिका 3(E) में स्पष्ट निर्देश है कि आवास सहायक को प्राथमिकता देते हुए शतप्रतिशत जांच इसके माध्यम से करना है जबकि उप विकास आयुक्त महोदय के पत्रांक 58 दिनांक 26.03.2018 में निदेशित किया गया कि प्रखंड समन्वयक सतप्रतिशत शौचालय जाँच कर 10 दिनों के अन्दर प्रति वार्ड 20/प्रति पंचायत 250 शौचालय का निर्माण कराते हुए आवेदन प्राप्त कर साथ ही भौतिक सत्यापन करते हुए IMIS पर अधतन करना सुनिश्चित करेंगे जो संभव प्रति नहीं होता है।

हम सभी प्रखंड समन्वयक के साथ जिला जल एवं स्वच्छता समिति के कर्मियों द्वारा हमेशा दुर्व्यवहार एवं मानसिक प्रताड़ना भवदीय के आलोक में दिया जात रहता है दिनांक 28.03.2018 के बैठक में उपविकास आयुक्त माहदेय द्वारा कहा गया कि सभी प्रखंड समन्वयक की नियुक्ति, विधायक, सांसद एवं मंत्री के पैरवी के आधार पर हुई है तथा इनकी कोई भी आवश्यकता इस कार्य हेतु नहीं है। अतः इन्हे हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात की गई। इसी बैठक में उप विकास आयुक्त द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया प्रखंड में पूर्व में जितने भी IMIS कराये गये है सभी आवेदन को DWSC कार्यालय में 02.04.2018 तक जमा कराने एवं प्रखण्ड समन्वयक को किसी भी स्थिति में सभी आवेदन पर जबरन हस्ताक्षर कराये ताकि पूर्व में जितने भी त्रुटियाँ जिला स्तर से करायी गई है। सभी का जिम्मेवार प्रखंड समन्वयक होगें।

DWSC कार्यालय के द्वारा DC-MIS श्रीमति अंकिता राय एवं जिला कार्यालय ऑपरेटर दिगविजय मंडल के द्वारा सभी प्रखंडों के BLS Survey 2012-2013 के अनुसार लाभार्थियों की संख्या को Delete करा कर जिला की प्रगति को गलत तरीके से बढाया जा रहा है। जिसका खामियाजा प्रखंड समन्वयक के भौतिक सत्यापन करने के दौरान लाभार्थियों, वार्ड सदस्य, मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। किस परिस्थिति में लाभुक का नाम BLS 2012-2013 के सुची से नाम को हटाया जा रहा है। Geo tag का Photo Approved करने के लिए

Scanned by CamScanner

जिला के कम्प्यूटर ऑपरेटर दिगविजय मंडल के द्वारा सदैव अनुचित तरह की मांग की जाती है। मांग पूरा नहीं होने पर तरह–तरह की समस्या को उत्पन्न की जाती है, एवं उपविकास आयुक्त महोदय को गलत तरह से दिग्भ्रमित किया जाता है।

उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रखंड समन्वयकों को विभागीय त्रुटि में फंसा कर इन्हें हटाने एवं दण्डणात्मक कारवाई करने की मंशा स्पष्ट है। अतः जिस कारण हम सभी प्रखंड समन्वयक कार्य करने में असमर्थ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सभी समस्या का सहानुभुति पूर्वक विचार करते हुए इन समस्याओं का निदान करने की कृपा की जाए एवं विभागीय मार्गदर्शिका एवं मानव संसाधन (HR-Policy of LSBA Staff) नियमावली के अनुसार तनाव मुक्त स्थिति में कार्य लिया जाय।

अतः हम सभी प्रखंड समन्यकों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक हमारी इस समस्याओं का निदान नहीं किया जाता तब तक हमसभी कार्य का वहिस्कार करते है।

विश्वासभाजन

सभी प्रखण्ड समन्वयक
जिला जल एवं स्वच्छा समिति
कटिहार।

(1) [illegible] Sharma B.C. Hasanganj
(2) AK Pathak B.C Kursela
(3) [illegible]
(4) [illegible] B.C Korha
(5) [illegible] B.C. Manihari
(6) [illegible] B.C. Barari
(7) [illegible] B.C Pranpur
(8) [illegible] B.C. Azamnagar
(9) [illegible] B.C Balrampur
(10) Sanjiv Kumar - B.C Barsoi
(11) Ranjeet Kumar Singh B.C Kadwa

प्रतिलिपि :–

– माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

– माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

Scanned by CamScanner

:– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग

:– माननीय मंत्री श्री विनोद कुमार सिंह, भूतत्व एवं खनन्, बिहार सरकार

:– माननीय सचेतक श्री तारकिशोर प्र० भगत सत्तारूढ़ सचेतक दल, बिहार सरकार

:– मुख्य सचिव बिहार सरकार

:– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

:– मिशन निदेशक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

सभी प्रखण्ड समन्वयक
जिला जल एवं स्वच्छता समिति
कटिहार।

(1) [signature]
(2) AK Pathak B.C Kursela
(3) Amit Kumar, B.C Sameli
(4) [signature]
(5) [signature] B.C., Manihari
(6) [signature] B.C. Barari
(7) [signature] B.C Pranpur
(8) [signature] B.C. Amdabad
(9) [signature] B.C Balrampur
(10) [signature] B.C Barsoi
(11) Ranjeet Kumar Singh B.C Hasan[illegible]

Scanned by CamScanner